	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **भगवानदास बनाम नगर विकास न्यास अलवर** **अपील संख्या 446/2015 (जीसीएमएस नम्बर 2015/00176)**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.08.22	अपीलार्थी के ओर से श्री हरिप्रसाद जांगिड़ एडवोकेट द्वारा प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई एवं अपील नोटप्रेस में खारिज करने एवं अपीलान्ट की ओर से अपना वकालतनामा प्रस्तुत करने पर पत्रावली आज तलब की गई। अधिवक्ता अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि प्रार्थी अपीलान्ट उक्त अपील को आगे चलाना नही चाहता है, ना ही अग्रिम कोई कार्यवाही करना चाहता है इसलिये प्रार्थी अपीलान्ट को अपील नोटप्रेस करने की अनुमति प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी/अपीलान्ट की अपील नोटप्रेस में खारिज करने की कृपा करें। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अपीलान्ट स्वयं ही अपनी अपील को आगे नही चलाना चाहता है। ऐसी स्थिति में अब इस हस्तगत अपील को आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य भी प्रतीत नही होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपील को नोटप्रेस करने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (विकास एस.भाले) संभागीय आयुक्त, जयपुर। आयुक्त जयपुर	